पत्रांक:SUDA/SBM/Swachh Survekshan/43/2017........127

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
राज्य शहरी विकास अभिकरण

OSP
अनुदान

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग के संस्थागत विकास एवं क्षमता संवर्धन मद में उपलब्ध राशि से राज्य शहरी विकास अभिकरण को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण के तैयारी हेतु क्षमता संवर्धन के निमित रू० 50,00,000/- (पचास लाख रूपये) मात्र राशि सहायय् अनुदान के रूप में आवंटित करने के संबंध में।**

रांची/दिनांक: 15/10/18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग के संस्थागत विकास एवं क्षमता संवर्धन मद में उपलब्ध राशि से राज्य शहरी विकास अभिकरण को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण के तैयारी हेतु क्षमता संवर्धन के निमित रू० 50,00,000/- (पचास लाख रूपये) मात्र राशि सहायय् अनुदान के रूप में आवंटित की जाती है:

2. यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या - 48 के अधीन मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास- उप मुख्यशीर्ष-80- सामान्य- लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता - उपशीर्ष-93-शहरी स्थानीय निकायों को संस्थागत विकास एवं क्षमता संवर्धन हेतु सहायय् अनुदान- विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड- 48S221780191930679 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. स्वीकृति राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृति राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करते हुए RTGS के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) हेतु अलग से खोले गये बैंक खाता में हस्तांतरित करेंगे। बैंक खाता की विवरणी निम्नवत हैं -

Name of Bank	IFSC Code	A/c Title	A/c No.
Allahabad Bank, Ranchi	ALLA0211069	State Urban Development Agency (SWM)	50355028204

(481)

4. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक 20.03.2015 की कंडिका- 5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. राशि की निकासी झारखण्ड वित्तीय नियमावली नियम-340-343/ कोषागार संहिता के नियम-300 एवं संगत परिपत्रों के अनुसार की जायेगी तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

9. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या - 759/वि० दि०-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अत: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या- 759/वि० दिनांक- 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- SUDA/SBM/Swachh Survekshan/43/2017......127...... राँची, दिनांक ...15/10/18

प्रतिलिपि: योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- SUDA/SBM/Swachh Survekshan/43/2017......127...... राँची, दिनांक ...15/10/18

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण / SBM-U कोषांग / श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव